

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़शांतिलाल

बनाम

सरकारकिस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं०

129सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी शांतिलाल पिता मोहनलाल जाति सुथार निवासी पावर हाउस के पीछे फतेहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर की और से पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 062/2022 दिनांक 16.03.2022 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 1505 जिसके इंजन नंबर 497SPTC31HXZ एवं चैचिस नंबर 357125HXZ813229 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ़ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से कमेन्ट्स मय केस डायरी हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा पत्रांक/3202 दिनांक 16.08.2022 से अवगत कराया गया कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा प्रेषित टिप्पणी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 1505 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 09 GC 1505 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रूपये 15,00,000/- अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p> <p>-S/d-</p> <p>(अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 21.09.2022</p>	

